# कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 27/2025

## प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 23.01.2025

**हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़** के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 23.01.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

### *01.थाना-बिलरियागंज:-दुष्कर्म में वांछित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार*

***घटना का संक्षिप्त विवरण:-***

दिनांक 25.11.2024 वादी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी की नाबालिक भतीजी को अभियुक्त सनी कुमार उर्फ अभिषेक पुत्र रामनिवास निवासी ग्राम जगमलपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा भगा ले जाया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 413/24 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में पीड़िता/अपहृता की बरामदगी, पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट, पीडिता के बयान व अन्य सकंलित साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64 बीएनएस व 5J(2)/6 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

***गिरफ्तारी का विवरण:-***

आज दिनांक 23.01.2025 को उ0नि0 लवकुश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सनी कुमार उर्फ अभिषेक पुत्र रामनिवास निवासी ग्राम जगमलपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को जैगहा बाजार से समय करीब 11.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

***अभियुक्त का नाम पता:-***

**01.** सनी कुमार उर्फ अभिषेक पुत्र रामनिवास निवासी ग्राम जगमलपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

***पंजीकृत अभियोग:-***

1. मु0अ0सं0 413/24 धारा 137(2)/87/64 बी0एन0एस0 व 5J(2)/6 पाक्सो एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

## *02.थाना-देवगाँव:- चोरी करने वाला 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में*

### *पूर्व की घटना का विवरण:-*

दिनांक 20.01.2025 के आवेदिका सरिता पुत्री स्व0 केदार निवासी व्यवहरा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादिनी जब आटो से जा रही थी तब वादिनी के बैग से गहना चोरी कर लिया गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 23/2025 धारा 303(2) बी.एन.एस. बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) की बढोत्तरी की गयी।

### *गिरफ्तारी का विवरण:-*

दिनांक 22.01.2024 को उ0नि0 राकेश कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर जिवली मोड़ नहर तिराहे के पास से समय करीब 22.10 बजे प्रकाश में आये एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में किया गया। जिसके पास से 2000 रूपये नगद बरामद हुआ। बरामद पैसों के बारे में पूँछने पर बाल अपचारी द्वारा बताया गया कि ये रूपये चोरी किये गहने को बेचने से प्राप्त हुआ था जिसमें से केवल 2000 रूपये ही बजे और खर्च हो गये।

## *03.थाना-देवगांव:- किशोरी को भगाने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार*

### *पूर्व की घटना का विवरण:-*

दिनांक 03.11.2024 के वादिनी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादिनी की नाबालिग पुत्री जो काम खोजने के लिए लालगंज बाजार गयी और वापस न आयी काफी खोजबीन के बाद भी पता नहीं चला। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 386/2024 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पीडिता की बरामदगी व बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त रामप्रताप राजभर पुत्र संजय राजभर निवासी खिजिर अहमदपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

### *गिरफ्तारी का विवरण:-*

दिनांक 22.01.2024 को उ0नि0 संजय यादव, उ0नि0 शकिल अहमद मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त रामप्रताप राजभर पुत्र संजय राजभर निवासी खिजिर अहमदपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ को मोलनापुर ब्रिज के नीचे से समय करीब 12.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

***04.थाना-तहबरपुरः-मोबाइल चोरी करने वाला 01 अभियुक्त चोरी के 03 अदद मोबाइल फोन व 51500 रूपये नगद के साथ गिरफ्तार***

***पूर्व की घटना/इतिहासः-***

दिनांक 19.01.2025 को वादी ओमप्रकाश पुत्र स्व0 राम कुमार निवासी गोविन्दपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी को मोबाइल माडल NO.LEX402 एवं DEVICE Name Z33 एवं User manual-LAVA-Z33 जिसमें एयरटेल की सिम लगी है जिसका मो0नं0 87XXXXXXXX है तथा IMEI N0-1 -35XXXXXXXXXX व IMEI N0-2- 35XXXXXXXXXXXX है। जिसके संबंध में गुमशुदगी दर्ज कर जांच किया गया तो ज्ञात हुआ कि उक्त प्रकरण चोरी कर फर्जी तरीके से घटना कारित किया गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 12/2025 धारा 318(4),303(2)BNS बनाम नीरज गौतम पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी गोविन्दपुर थाना तहबरपुर जनपद के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

***गिरफ्तारी का विवरणः-***

आज दिनांक 23.01.2025 को उ0नि0 उमाकान्त शुक्ला मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त नीरज गौतम पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी गोविन्दपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 29 को रघुनाथपुर अण्डर पास से समय करीब 10.55 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 1 अदद एण्ड्राइड मोबाईल LAVA बरामद किया गया, जिसके सम्बन्ध में पूछने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि यह मोबाईल मेरे गांव के ओमप्रकाश का है जिसको मैने चुराया है। अभियुक्त के कब्जे से 02 अदद मोबाइल फोन SAMSUNG का बरामद किया गया व कुल 51500/- रूपये नगद बरामद किया गया।

***पूछताछ का विवरणः-***

अभियुक्त से बरामद नगर रूपयों के बारे में पूँछने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं अपने ही गांव के ओम प्रकाश पुत्र स्व0 राम कुमार निवासी गोविन्दपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ के घर से मोबाइल चोरी किया था जिसके मोबाइल व आनलाइन पेमेंट का पैटर्न पासवर्ड सब जानता था। ओमप्रकाश के मोबाइल से 47732/-रूपया आनलाइन पेमेंट कर ज्वैलरी की दुकान मैनें खरीददारी कर लिया है, खरीददारी का 51038 रूपये बाकी था जिसे मैं आज देने जा रहा था कि आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया।

***गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-***

01. नीरज गौतम पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी गोविन्दपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 29 वर्ष

***बरामदगी का विवरणः-***

01. 03 अदद एण्ड्राइड मोबाईल फोन
02. कुल 51500/- रूपये नगद

***पंजीकृत अभियोगः-***

**01.** मु0अ0सं0 -12/2025 धारा – 318(4),303(2)BNS थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

***05.जनपद-आजमगढ़ः- से कुल 14 नफर वारण्टी गिरफ्तार***

***गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरणः-***

दिनांक 23/01/2025 श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा माननीय न्यायालय से निर्गत वारण्ट में वारण्टियों की गिरफ्तारी के संबंध में अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद में कुल 14 वारण्टियों क्रमशः कप्तानगंज, कोतवाली, सरायमीर से 01-01 वारण्टी, जीयनपुर से 03, बिलरियागंज से 02 व मुबारकपुर से 06 वारण्टियों की गिरफ्तारी की गयी। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

***06.थाना-रौनापारः-दुष्कर्म का 01 आरोपी गिरफ्तार***

***पूर्व की घटना/इतिहास का विवरणः-***

दिनांक 18.01.25 को वादी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी की नाबालिग बहन को अभियुक्त संदीप उर्फ पिन्टू पुत्र रामसिंगार साकिन गांगेपुर मठिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाया गया जिसकी काफी खोजबीन के बाद भी कुछ पता नहीं चला। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 19/2025 धारा 87/137(2) बीएनएस बनाम अभियुक्त उपरोक्त आदि के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पीडिता की बरामदगी, बयान व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64 बीएनएस व 3/4 पाक्सो की बढ़ोत्तरी किया गया।

***गिरफ्तारी का विवरणः-***

आज दिनांक 23.01.2025 को उ0नि0 अखिलेश सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त संदीप उर्फ पिन्टू पुत्र रामसिंगार साकिन गांगेपुर मठिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष को महुला बाजार से समय करीब 08.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।